यह निरीक्षण आख्या **मुख्य शिक्षा अधिकारी चमोली** के माह 11/2012से 12/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **मुख्य शिक्षा अधिकारी चमोली** के अवधि की माह 11/2012 से 12/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री प्रहलाद सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 10/01/2019 से 15/12/2018 तक श्री राम सनेही लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है |

1. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र,** कार्यालय गोपेश्वर जनपद चमोली मे स्थित हैं | कार्यालय का क्रियाकलाप जनपद चमोली मे संचालित विधालयों का निरीक्षण/अनुश्रवण तथा गुणवत्ता शिक्षाप्रदान करवाना ।

(i) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि रु. में)

वर्ष	आवंटन		व्यय		बचत /अभ्यर्पण	
	स्थापना	गैर स्थापना	स्थापना	गैर स्थापना	स्थापना	गैर स्थापना
2015-16	13009000	132245100	12840267	132194705	168733	50395
2016-17	15275000	46688000	14063317	46629410	1211683	58590
2017-18	17687000	76504900	17496177	76476087	190823	28813
2018-19	17572000	20463124	16710513	20013595	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

---------- शून्य ----------

(ii)इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई का आवंटन स्रोत ,राज्य सरकार।

(ii) इकाई की श्रेणी "सी" है।

iv) **विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्न प्रकार है**

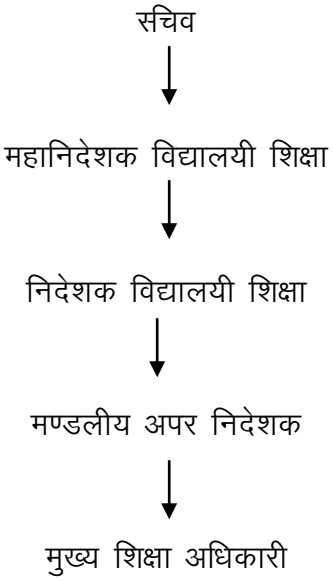

(v)लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में मुख्य शिक्षा अधिकारी चमोली की लेन देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया है । समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन मुख्य शिक्षा अधिकारीचमोली की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2015, 03/ 2016,03/2017, को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया उक्त माहों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन सर्वाधिक व्यय के आधार पर किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक- महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1 - निर्माण एजेंसी को अनुचित रूप से 10 वर्षों तक शासकीय धनराशि के अवरुद्ध करने की छूट रुपये 26.00 लाख

शासनादेश संख्या 1988/XXIV-3/07/02(126)2006 दिनांक 13 मार्च 2008 के द्वारा अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवाल चमोली के निर्माण कार्य हेतु, निदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के निवर्तन पर रखते हुये व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसमें उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड श्रीनगर को निर्माण एजेंसी नियुक्त किया गया था । निर्माण कार्य हेतु आगणन की अनुमोदित लागत रुपये 87.00 लाख थी जिसमें से वित्तीय वर्ष 2007-08 में अनुमोदित लागत की लगभग 30 प्रतिशत की दर से स्वीकृत हेतु प्रस्तावित धनराशि रुपये 26.00 लाख थी ।

इकाई के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि**,** निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित धनराशि रुपये 26.00 लाख, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड श्रीनगर (निर्माण एजेंसी) के पक्ष में भुगतान की गई थी । आगे यह भी पाया गया की उक्त विद्यालय के निर्माण कार्य हेतु विभाग द्वारा निर्माण एजेंसी को कार्यस्थल हेतु भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई थी और बिना भूमि की उपलब्धता के ही निर्माण एजेंसी के पक्ष में रुपये 26.00 लाख की धनराशि विभागीय उदासीनता के कारण भुगतान कर दी गई।

लेखापरीक्षा की तिथि तक न तो निर्माण एजेंसी द्वारा उक्त धनराशि को वापिस जमा किया गया और न ही मुख्य शिक्षा अधिकारी, चमोली के द्वारा ही निर्माण एजेंसी से इतनी बड़ी धनराशि वापिस किए जाने हेतु कोई ठोस कदम उठाया गया परिणामस्वरूप निर्माण एजेंसी को अनुचित रूप से 10 वर्षों तक रुपये 26.00 लाख की धनराशि का अवरुद्ध करने की छूट दी गई साथ ही इतनी बड़ी धनराशि पर ब्याज अर्जित करने का अदेय लाभ भी दिया गया ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को इकाई द्वारा स्वतः स्वीकार किया गया और कहा गया कि निर्माण एजेंसी से धनराशि की वसूली तत्काल कर दी जाएगी तथा अर्जित ब्याज की गणना कर एजेंसी से ली जाएगी । अतः निर्माण एजेंसी के पास अनुचित रूप से 10 वर्षों तक रुपये 26.00 लाख की धनराशि का अवरुद्ध करने तथा एजेंसी द्वारा ब्याज अर्जित करने का अदेय लाभ दिये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर 2- विभागीय उदासीनता के कारण निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के बाद अवशेष धनराशि निर्माण एजेंसी से वसूली नहीं किया जाना ₹ 2.003 लाख

विभागीय निर्माण कार्य के पूर्ण हो जाने के तुरंत पश्चात कार्यों की अवशेष धनराशि की मांग निर्माण एजेंसी से किया जाना अपेक्षित है ।

इकाई के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि, कार्यालय परियोजना प्रवन्धक अस्थाई निर्माण इकाई उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीनगर गढ़वाल (निर्माण एजेंसी) द्वारा प्रेषित निर्माण कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति माह 11/ 2018 के अनुसार निम्नवत निर्माण कार्य संपादित किए गए थेः-

धनराशि (लाख ₹) में

क्र°सं°	**निर्माण कार्य का नाम**	**कार्य प्रारम्भ करने की तिथि**	**कार्य पूर्ण करने की तिथि**	**कार्य की कुल स्वीकृत लागत**	**कुल व्यय**	**एजेंसी के पास अवशेष धनराशि**
1	खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय भवन पोखरी	04/2012	--	60.100	60.063	0.037
2	खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय भवन घाट	31.08.15	--	66.45	65.465	0.985
3	रा. उ. मा. वि. लगोठ में अतिरिक्त कक्षा कक्ष	03.05.16	--	21.60	21.60	00
4	बाउंड्री वाल शिक्षा संकुल भवन गोपेश्वर	02/17	--	20.050	19.484	0.566
5	रा.इ.का. डुंगी मैकोट में खेल मैदान का कार्य	03.05.17	--	4.700	4.285	0.415
योग						2.003

निर्माण एजेंसी द्वारा उपरोक्त समस्त निर्माण कार्यों को पूर्ण किए हुये 08 माह तक की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात भी निर्माण कार्यों से अवशेष धनराशि की मांग कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी, चमोली द्वारा निर्माण एजेंसी से नहीं की गई । जबकि निर्माण कार्य के पूर्ण हो जाने के तुरंत पश्चात कार्यों की अवशेष धनराशि की मांग निर्माण एजेंसी से किया जाना अपेक्षित थी । विभागीय उदासीनता के कारण निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के बाद अवशेष धनराशि की मांग

निर्माण एजेंसी से नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 2.003 लाख की धनराशि अनियमित रूप से निर्माण एजेंसी के अधीन निक्षेप में पड़ी रही ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को इकाई द्वारा स्वतः स्वीकार किया गया और कहा गया कि निर्माण एजेंसी से धनराशि की वसूली की जाएगी । अतः निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के बाद अवशेष धनराशि ₹ 2.003 लाख, निर्माण एजेंसी से वसूली नहीं किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-3- अनियमितअधिप्राप्ति रुपये 1.52 लाख

THE UTTARAKHAND PROCUREMENT RULES, 2008

Purchase of Goods by Purchase Committee

Rule 9. Purchase of goods costing above Rs.15000/- (Rs. Fifteen thousand) and upto Rs.1,00,000/- (Rs. One lakh only) on each occasion may be made on the recommendations of a duly constituted Local Purchase Committee consisting of three members of an appropriate level as decided by the Head of Department/Head of Office. In such a committee one member should be either from finance services or audit services or a person specially trained in procurement/purchase to advice on procedural aspects of procurement and financial rules. The committee will survey the market to ascertain the reasonableness of rate, quality and specification and identify the appropriate supplier. Before recommending placement of purchase order, the members of the committee will jointly record a certificate as under :-

"Certified that we (1)…….....… (2) …… (3) .....……..... members of the purchase committee are jointly and individually satisfied that the goods recommended for purchase are of the requisite specification and quality, priced at prevailing market rate and the supplier recommended is reliable and competent to supply the goods in question."Signature (1)…….....… (2)…….....…(3)…….....…

Name…….....…Name…….....Name……..... Designation…… Designation…… Designation……

इकाई के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया कि, जिला पुस्तकालय गोपेश्वर चमोली में निम्न विवरण के अनुसार अधिप्राप्ति की गई थी ।

Sl. No.	Name of Firm	Invoice No./ Date	Amount inRs.
1	Rishi PustakKendraMandir Marg GopeshwarChamoli	5605/ 31.03.2013	28000
2	--do--	5607/31.03.2013	18000
3	--do--	5608/31.03.2013	18000
4	--do--	5609/31.03.2013	18000
5	XCEL Computer Gopeshwar	2616/14.03.2015	50000
6	Janta Steel Furniture GneshMandirGopeshwar	30/ 14.02.2015	20000
Total			152000

उपरोक्त विवरण के अनुसार इकाई द्वारा प्रत्येक बिल द्वारा रुपये पंद्रह हजार की सीमा से अधिक धनराशि की सामग्री का क्रय किया गया और कुल रुपये 152000 का क्रय बिना किसी क्रय समिति गठित किए ही किया गया । जवकि रुपये पंद्रह हजार से अधिक धनराशि की सामग्री का क्रय किए जाने हेतु सक्षम अधिकारी के प्रशासनिक अनुमोदनोपरांत कम से कम तीन सदस्सीय क्रय समिति का गठन कर बाजार से दर सर्वेक्षण कर गुणवत्ता एवं विशिष्टियों की जांच कर अधिप्रप्ति किया जाना अपेच्छित थी । परंतु इकाई द्वारा उपरोक्त सामग्री का क्रय किए जाने हेतु न तो किसी क्रय समिति का गठन किया गया और न ही क्रय की गई सामाग्री की गुणवत्ता एवं विशिष्टियों का सत्यापन सक्षम प्राधिकारी से कराया गया जो उपरोक्त अधिप्राप्ति नियमों की अवहेलना तथा रुपये 152000 का क्रय किया जाना अनियमित था ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि, नियमों के आलोक मे ही अधिप्रप्ति की गई । सामग्री क्रय किए जाने हेतु उच्चाधिकारियों का अनुमोदन किया गया परंतु साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं । इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि इकाई द्वारा उपरोक्त सामग्री का क्रय किए जाने हेतु न तो किसी क्रय समिति का गठन किया गया और न ही क्रय की गई सामाग्री की गुणवत्ता एवं विशिष्टियों का सत्यापन सक्षम प्राधिकारी से कराया गया जो उपरोक्त अधिप्राप्ति नियमों की अवहेलना तथा रुपये 152000 का क्रय किया जाना अनियमित था । अतः रुपये 152000 की अनियमितअधिप्राप्ति का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-4- धनराशि रु. 1185600/- का उपयोगिता प्रमाण पत्र इकाई द्वारा उपलब्ध न कराया जाना ।

शासनादेश संख्या:1682/XXIV-3/12/02/(77)/12 दिनांक 19 मार्च 2013 के प्राविधानों के अनुसार उत्तराखंड राज्यमे स्थित शासकीय / अशासकीय विधालयों मे कक्षा 9 मे प्रवेश पाने वाली बालिकाओं हेतु बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (मुफ्त साइकिल) योजना" के अन्तर्गत शासन के पत्र संख्या351/XXIV/17/02/(77)/2012 दिनांक 27 मार्च,2017 द्वारा निम्न शर्तो के अधीन उत्तराखंड राज्य के 13 जनपदों के लिए धनराशि ₹ 19998.45 हजार की स्वीकृति प्रदान की गई थी ।

कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी चमोली के लेखा अभिलेखों की जांच मे पाया कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड के आदेश संख्या/विविध /1578/छात्रवृति/2016-17 दिनांक 28 मार्च 2017 द्वारा वर्ष 2016-17 हेतु राज्य मे स्थित शासकीय /अशासकीय विधालयों मे कक्षा 9 मे प्रवेश पाने वाली बालिकाओं हेतु बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (मुफ्त साइकिल) योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति वर्ग की छात्राओं की 1039 के सापेक्ष समान अनुपात मे 39.98 प्रतिशत के अनुसार जनपद चमोली के 9 विकास खंडों मे चयन किए गये 416 छात्राओं को ₹ 2850.00 की दर से स्वीकृत प्रदान की गई जिसका विवरण निम्न है ।

क्र°स°	विकास खंड	एस°सी°/एस°टी° छात्र/छात्रो की संख्या	कुल छात्र संख्या का 46.95 प्रतिशत	लाभांवि की जाने वाली छात्राओ के संख्या	दर	धनराशि
1	दशोली	189	88.736	89	2850	253650
2	जोशीमठ	48	22.536	22	2850	62700
3	घाट	112	52.584	52	2850	148200
4	कर्णप्रयाग	155	72.773	73	2850	208050
5	पोखरी	100	46.95	47	2850	133950
6	गैरसैण	95	44.603	45	2850	128250
7	नारायणबगड	74	34.743	35	2850	99750
8	थराली	57	26.762	27	2850	76950
9	देवाल	56	26.292	26	2850	74100
योग		886	415.98	417		1185600

उपरोक्त विकासखंडों से प्राप्त छात्र संख्या 886 का 46.95 प्रतिशत 416 छात्रों को उक्त 9 विकासखंडों मे धनराशि रु°1185600/वितरित की गई लेकिन लेखापरीक्षा अवधि तक वितरित की गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र इकाई द्वारा संप्रेक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गई । सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि किसी भी विकासखंड से उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ। सभी विकास खंडो से उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु

पत्राचार किया जायेगा तथा उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत कार्यालय प्रधान महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जायेगा । विभाग द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योकि प्रमाण पत्र के अभाव मे यह ज्ञात नहीं हो पा रहा है की पात्र छात्राओ को धनराशि उपलब्ध हुई या नहीं ।

अत: धनराशि ₹ 1185600/ का उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराये जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है ।

STAN

प्रस्तर-1- **जनपद चमोली के शाखा पुस्तकालय कर्णप्रयाग एवं पोखरी के भवन किराए के रूप में भवनों के स्वामियों को बिना अनुबंध गठन के किराये का भुगतान किया जाना।**

निदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तरांचल देहारादून के कार्यालय पत्रांक अर्थ-3/30026/ भवन किराया /2006-07 दिनांक 01 सितंबर 2006 की विषयक जनपद चमोली के शाखा पुस्तकालय कर्णप्रयाग एवं पोखरी के भवन किराए में बृद्धि से संबन्धित के माध्यम से उप निदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तरांचल देहारादून द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी चमोली से उक्त दौनों पुस्तकालय भवनों के किराए बढ़ोत्तरी के संबंध में किराए पर लिए गए भवनों के स्वामियों के साथ किए गए अनुबंध पत्रों की प्रमाणित प्रतियों के साथ भवनों का कितना कारपेट एरिया जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के आधार पर है; कितने कारपेट एरिया हेतु तत्समय रुपये 500 (पाँच सौ) किराया स्वीकृत किया गया था, की सूचना जिला शिक्षा अधिकारी चमोली से मांगी गई थी ।

जिला पुस्तकालय गोपेश्वर चमोली के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि, विभाग द्वारा लेखापरीक्षा अवधि 04/2012 से 12/2018 तक जनपद चमोली के शाखा पुस्तकालय कर्णप्रयाग एवं पोखरी के भवन किराये के रूप में रुपये 153200 का भुगतान भवनों के स्वामियों को किया गया । भवनों के स्वामियों के साथ किए गए अनुबंध पत्र तथा भवनों का कितना कारपेट एरिया जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया था, इस संबंध में कोई अभिलेख नहीं रखे गये थे।

लेखापरीक्षा आपत्ति को इकाई द्वारा स्वतः स्वीकार किया गया और कहा गया कि किराये के आरंभ वर्षों से भवन स्वामियों के साथ किए गये अनुबंध संबन्धित अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं, किराये की दर एवं कार्पेट एरिया के संबंध में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं तथा दोनों पुस्तकालयों में आरम्भ से जो भुगतान निर्धारित किया गया इसी दर से भुगतान किया जा रहा है। अतःशाखा पुस्तकालय कर्णप्रयाग एवं पोखरी के भवन किराये के रूप में भवनों के स्वामियों को किराये के रूप में रुपये 153200 का भुगतान अनुबंध पत्र हस्ताक्षरित किए बिना ही किया गया।

भाग-III

(i) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या	अनुपूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा हैं|			

(ii) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन सं०	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा हैं|				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु मुख्य शिक्षा अधिकारी चमोली की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i) शून्य

1. सतत् अनियमितताएः

(i) शून्य

2. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा आहरण वितरण अधिकारी का कार्यभार वहन किया गया |**

क्रम स°	नाम	पदनाम	अवधि
1-	श्री खुशाल लाल आर्य	वित-अधिकारी	08-03-2012से 31-03-2013
2-	श्री लचम सिंह	वित-अधिकारी	01-02-2013 से 27-11-2013
3-	श्री आनंद सिंह	वित-अधिकारी	28-11-13 से 10-09-2014
4-	श्री रमेश राम आर्य	वित-अधिकारी	11-09-2014 से 30-11-15
5-	श्री गिरीश चंदथपलियाल	वित-अधिकारी	01-12-2015 से 09-09-2018
6-	सुश्री°शैफाली गुप्ता	वित-अधिकारी	10-09-2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी चमोली को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार सामाजिक क्षेत्र कार्यालय प्रधान महालेखाकर(ले°प°) उत्तराखंड महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहारादून-248195 को प्रेषित करना सुनिशित करे|

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.